

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: एस.सी./एस.टी.प्रकोष्ठ/2011/५२९

दिनांक ११८/२

प्रति,
विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक,
समरत अध्ययनशाला,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विषय – छात्रवृति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरने बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय में लेख है कि सत्र 2011-12 की छात्रवृति के संबंध में आदिसजस्ति कल्पण विभाग से प्राप्त कार्य योजना के रांदर्भ में इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रांति एस.सी./एस.टी.प्रकोष्ठ/2011/496 दिनांक 13.07.2011 के द्वारा अनुरूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं से नवीन/नवीनीकरण छात्रवृति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरवाकर दिनांक 31.07.2011 तक एस.सी.एस.टी.प्रकोष्ठ में अनिवार्यतः जमा कराने हेतु सूचित किया गया था। उक्त दिनांक में वृद्धि करते हुए अब इस दिनांक 25.08.2011 तक किया जाता है।

अतः निर्धारित दिनांक 25.08.2011 तक अनिवार्यतः छात्रवृति आवेदन पत्र एस.सी./एस.टी.प्रकोष्ठ में प्राप्त हो जाना चाहिए उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा।

इस रांबंध में यह भी पुनः उल्लेख है कि पूर्व सत्र में प्राप्त हुए छात्रवृति के कुछ आवेदन-पत्रों में मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुविभागीय अधिकारी का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, अक सूचियों की प्रति तथा आय के संबंध में छात्र के पिता की आय का प्रमाण-पत्र संलग्न न होने के साथ ही संबंधित कोर्ट की शिक्षण शुल्क (दो सेमेस्टर) में कॉशनगनी को भी सम्मिलित कर, फीस अंकित कर दी गई थी जिस कारण छात्रवृति कार्य में अत्यधिक परेशानी उत्पन्न होने के साथ ही छात्रवृति स्वीकृती में भी काफी बिलभू हुआ।

अतः आपको इस संबंध में सूचित किया जाता है कि छात्रवृति आवेदन पत्रों के राठ संलग्न समस्त प्रपत्रों की जांच कर ही इस कार्यालय की ओर भेजें। फीस घौरा में कॉशनगनी या अन्य रिफनडेवल फीस को सम्मिलित न करते हुए स्पष्ट लिखा जावे कि उक्त फीस में कॉशनगनी/रिफनडेवल सम्मिलित नहीं की गई है। उक्त दिशा सिर्देशों के उपरान्त भी यदि आपके द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्रों में फीस की जानकारी उही अंकित नहीं की जाती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

3
कुलसचिव

प्रतिलिपि --

3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्रभारी

अनुजाति/जनजाति प्रकोष्ठ